



2026:AHC:35995-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2411/2026

मीनाक्षी सैनी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता:

पुरुषोत्तम पांडे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए यह रिट याचिका दायर किया है:-

“(I) प्रत्यर्थी संख्या 2 को आदेश, निर्देश या निर्देश जारी किया जाए कि वह प्रत्यर्थी संख्या 3 को दिनांक 04.11.2025 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (मामला अपराध संख्या 229/2025, धारा 108 बीएनएस, थाना-नगीना, जिला- बिजनौर) से संबंधित मामले की जांच पूर्ण करने का निर्देश दें तथा पुलिस अधिकारियों को मामले में निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दें।

(II) कोई अन्य रिट, आदेश, नियम या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितिओं के अनुसार उचित और उपयुक्त समझे।

(III) रिट याचिका का खर्च प्रदान किया गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता इस मामले में प्रथम सूचना दाता है और यद्यपि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.11.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस मामले की निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से जांच नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए, याचिकाकर्ता बिजनौर, जिला-बिजनौर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपनी शिकायत को उजागर करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करते हुए एक आवेदन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रस्तुत कर सकता है, और यदि ऐसा आवेदन बिजनौर, जिला-बिजनौर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो बिजनौर, जिला-बिजनौर के पुलिस अधीक्षक/प्रत्यर्थी संख्या 2 इस मामले में निष्पक्ष तटस्थ और शीघ्र जांच सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ यह याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

जफर

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”